

I/437338/2023

संख्या- 89/2023/भा0स0-157/नौ-9-2023-002-E-1647239

प्रेषक,

मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2023

**विषय:-** स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत लखनऊ शहर हेतु धनराशि ₹0 98.00 करोड़ अवमुक्त करने के संबंध में।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, स्मार्ट सिटी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रों संख्या-K-15016/154(8)/2016-SC-I, दिनांक 07.11.2023 एवं संख्या-K-15016/154(8)/2016-SC-I, दिनांक 07.11.2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत लखनऊ शहर हेतु केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश कुल धनराशि ₹0 98.00 करोड़ (₹0 अठानबे करोड़ मात्र) निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि ₹0 करोड़ में)

क्र०	स्मार्ट सिटी का नाम	केन्द्रांश		मैचिंग राज्यांश		योग
		प्रोजेक्ट फण्ड	ए0एण्डओ0ई0	प्रोजेक्ट फण्ड	ए0एण्डओ0ई0	
1	लखनऊ	46.50	02.50	46.50	02.50	98.00

(₹0 अठानबे करोड़ मात्र)

**नियम व शर्त/प्रतिबन्धों**

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे स्मार्ट सिटी, लखनऊ के एस0एन0ए0 एकाउन्ट में अन्तरित की जाएगी एवं स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रश्नगत धनराशि स्मार्ट सिटी, लखनऊ द्वारा आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (4) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (5) कार्यों की दविरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी नगर आयुक्त द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा।
- (6) उपरोक्त स्मार्ट सिटी के लिए अवमुक्त केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि का उपभोग के समय भारत सरकार की गाइड-लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा।

I/437338/2023

कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जाय।

- (8) निकाय द्वारा 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-02/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510105 लखनऊ, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2) रुपये 49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050518905 लखनऊ, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-345-X-2023-24, दिनांक-30 नवम्बर, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भविदीय,  
मो० वासिफ,  
अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 89 /2023/भा०स०-157/नौ-9-2023-002-E-1647239, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक (स्मार्ट सिटी), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 9- नगर आयुक्त, नगर निगम/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, लखनऊ।
- 10- एस०पी०वी०, लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
- 11- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
मो० वासिफ,  
अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति  
(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A009-20232024-RE-1647239

विषय:- स्मार्ट सिटी लखनऊ के केन्द्रांश एवं राज्यांश के मानक मद-35 हेतु पुनर्विनियोग कराये जाने के संबंध में।  
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217051910105 (अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.25/रा.33.33-के.) (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	35 (पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान)	8,23,69,30,000 रुपये आठ अरब तेईस करोड़ उनहतर लाख तीस हजार मात्र	8,23,69,30,000 रुपये आठ अरब तेईस करोड़ उनहतर लाख तीस हजार मात्र	49,00,00,000 रुपये उनचास करोड़ मात्र	490000000	7,74,69,30,000	2023-2024
037	2217051918905 (अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	35 (पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान)	9,32,22,87,000 रुपये नौ अरब बतीस करोड़ बाईस लाख सतासी हजार मात्र	9,32,22,87,000 रुपये नौ अरब बतीस करोड़ बाईस लाख सतासी हजार मात्र	49,00,00,000 रुपये उनचास करोड़ मात्र	490000000	8,83,22,87,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217050518905 (लखनऊ, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु )	35 (पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान)	49,00,00,000 रुपये उनचास करोड़ मात्र	49,00,00,000 रुपये उनचास करोड़ मात्र	490000000	98,00,00,000	2023-2024
037	2217050510105 (लखनऊ, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.) )	35 (पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान)	49,00,00,000 रुपये उनचास करोड़ मात्र	49,00,00,000 रुपये उनचास करोड़ मात्र	490000000	98,00,00,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-


- (1) स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण बचत हो रही है।
- (2) स्मार्ट सिटी लखनऊ के केन्द्रांश एवं राज्यांश के मानक मद -35 में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
- (3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।


संख्या: आर ई-बजट-1-116/2023-24, दिनांक-29 नवंबर, 2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उ.प्र. प्रयागराज।


  
मोहम्मद वासिफ  
अनु सचिव।

  
सिद्धार्थ श्रीवास्तव  
अपर निदेशक।

संख्या : शार० ५०/कडर-१०, १९६ - दिनांक-२९ नवंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी/अमृत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, लखनऊ।
- 7- एस0पी0वी0, स्मार्ट सिटी, लखनऊ।
- 8- नगर विकास अनुभाग-5।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1/2)।
- 10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,  
  
मोहम्मद रफ़ीफ़  
अनु सचिव